प्रेस के लिए सूचना (प्रेस विज्ञप्ति संख्या 28/2021)

तत्काल जारी करने के लिए

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण

भादूविप्रा ने **"टैरिफ प्रस्तावों की वैधता अवधि"** पर परामर्श पत्र जारी किया।

नई दिल्ली, 13 मई, 2021: भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (भादूविप्रा) ने आज **"टैरिफ प्रस्तावों की वैधता अवधि"** पर एक परामर्श पत्र जारी किया है।

2. भादूविप्रा को मासिक प्रस्तावों के स्थान पर 28 दिनों के लिए दूरसंचार सेवा प्रदाताओं (टीएसपी) के टैरिफ की प्रस्तावों के बारे में उपभोक्ताओं से काफी संख्या में पत्र प्राप्त हो रहे हैं। टैरिफ के मौजूदा विनियामक फ्रेमवर्क के अनुसार, दूरसंचार सेवाओं के लिए टैरिफ प्रविरत रखे गए हैं, जिसमें ये शामिल नहीं हैं: (i) ग्रामीण फिक्स्ड लाइन सेवाएं; (ii) राष्ट्रीय रोमिंग सेवाएं; (iii) अंतर्राष्ट्रीय निजी लीज्ड सर्किट और घरेलू लीज्ड सर्किट; और (iv) मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी शुल्क। बहरहाल, विभिन्न माध्यमों से उपभोक्ताओं से प्राप्त फीडबैक को देखकर ऐसा लगता है कि टीएसपी द्वारा प्रस्तावित कुछ टैरिफ/वाउचर और उनकी वैधता से उपभोक्ताओं का बड़ा वर्ग संतुष्ट नहीं है। इस परामर्श पत्र का उद्देश्य ऐसे टैरिफ प्रस्तावों की पहचान करना है और सेवा प्रदाताओं द्वारा प्रस्तावित टैरिफ/वाउचर बनाने और उनकी वैधता बड़े पैमाने पर उपभोक्ताओं की आकांक्षाओं/आवश्यकताओं के अनुकूल होने की संभावना का पता लगाना है।

2. इस संबंध में, **"टैरिफ प्रस्तावों की वैधता अवधि"** पर एक परामर्श पत्र जारी किया गया है, जिसमें हितधारकों से टिप्पणियां और प्रति-टिप्पणियां मांगी गई हैं। परामर्श पत्र में उठाए गए मुद्दों पर हितधारकों से लिखित टिप्पणियां और प्रति-टिप्पणियां क्रमशः 11 जून 2021 और 25 जून 2021 तक आमंत्रित की गई हैं।

3. टिप्पणियां अधिमानतः इलेक्ट्रॉनिक रूप में ई-मेल द्वारा advfea1@trai.gov.in पर भेजी जा सकती हैं। किसी भी स्पष्टीकरण/जानकारी के लिए श्री कौशल किशोर, सलाहकार (वित्त और आर्थिक विश्लेषण-I), भादूविप्रा से टेलीफोन नंबर +91 11 23230752 पर संपर्क किया जा सकता है।

(राजीव सिन्हा) 13/05/2021

सचिव (प्रभारी), भादूविप्रा